

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

वान रामजीलाल आदि बनाम कृपाल सिंह आदि

रण संख्या 52 / 2023 अन्तर्गत धारा 212 RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिन जो इस आदेश पालना में जार
--------	-----------------------------------	--

30⁵/₂₄ अधिवक्तागण उपस्थित। जवाब प्राचीन पत्र हेतु समय पाता। अनित्य अवसर दिया जाता है। 72 की अवधि आगामी पेशी तक बगई जाती है। पत्रावली वास्ते जवाब प्राचीन पत्र दिनांक 3/7/24 को पेश हो।

3⁷/₂₄ अधिवक्तागण उपस्थित। जवाब प्राचीन पत्र पेश नहीं करने पर बेद किया जाता है। बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा प्राचीन का प्राचीन पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थायी निवेधारण दिनांक 24/05/23 मूलवाद के निगम तक स्थाई की जाती है। पत्रावली निगति होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर